

रिपोर्ट पटवारी हल्का/आइओएल0आर0  
आवेदन पत्र के सम्बन्ध में जांच की गई। जिसके अनुसार

प्रशासन सेवा केंद्र राजस्थान 2021

प्रीमाण

प्रार्थी द्वारा पुराने शासक-पत्र, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र परिवार 2021 के आधार पर प्रार्थी को नाम मंगेज पुत्र भगवाना नाम के लक्षण प्रमाणित किया जा रहा है।  
पुराने शासक-पत्र को ध्यान में रखा जा रहा है।

कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौडजी

दिनांक :-

क्रमांक : राजस्व/2020/

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है/सही है। आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाने की अधिशंका की जाती है।

उचित ठीक जागत उचित है।

तहसीलदार (भू.अ.)  
उदयपुरवाटी/गुढागौडजी

1544  
23/11/2021

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं (राज.)  
:- आदेश :-

दिनांक :- 23/11/21

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौडजी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप में शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौडजी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी सम्बन्ध	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
01	पौरव	2075-78	679	मंगेज पुत्र भगवाना - - 115	मंगेज पुत्र भगवाना - मंगेज कुमार पुत्र भगवाना

नोट :-शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उगत भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

दिनांक :- 23/11/21

क्रमांक :- राजस्व/2020/ 1237-1230

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौडजी को वास्तु पालनाथे।
2. प्रार्थी/प्रार्थीया को सूचनाथे।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी